### <u>न्यायालय—मधुसूदन जंघेल</u>, <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)</u>

दाण्डिक प्र0क0:—195 / 2018 संस्थित दिनांक:—07.06.2018 फाईलिंग नं.6502018

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

### !! विरुद्ध !!

समारू पिता स्व0 चरणसिंह आर्मी, जाति गोंड, उम्र–41 वर्ष निवासी रेंहगी थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।

.....आरोपी

### ‼ निर्णय !!

( दिनांक 20/06/2018 को घोषित किया गया )

उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 17.05.2018 को समय 01. 20:00 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत ग्राम लोरा सागौनटोला में फरियादिया के घर आंगन में फरियादिया श्रीमती सुंदरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सूनने वालों को क्षोभ कारित करने, इस प्रकार धारा-294 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य है कि दिनांक 19.06.2018 को 02. आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा होने से आरोपी को भा.द.वि. की धारा-451, 323, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया तथा धारा-294 भा.द.वि. राजीनामा योग्य न होने से उस पर विचारण किया गया। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना 03. दिनांक 17.05.2018 को रात 8:00 बजे फरियादी सुंदरीबाई अपने बच्चों के साथ घर के आंगन में बैठी हुई थी, उसी समय आरोपी समारू फरियादी को मॉ-बहन की गंदी-गंदी अश्लील गालियाँ देने लगा। फरियादी के साथ आरोपी ने मारपीट भी किया और मारने की धमकी भी दिया, जिसके उपरांत फरियादी ने थाना मलाजखंड में जाकर घटना की रिपोर्ट की, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क0-57 / 18 धारा-451, 323, 294, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया

गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा—451, 294, 323, 506 भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपी ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है। आरोपी के विरूद्ध साक्ष्य में कोई विपरीत कथन न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

# 05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 17.05.2018 को समय 20:00 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत ग्राम लोरा सागौनटोला में फरियादिया के घर आंगन में फरियादिया श्रीमती सुंदरीबाई की अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

## 👍 निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—

### विचारणीय प्रश्न कमांक-01

- 06. फरियादी सुंदरीबाई अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को जानती है। घटना दो माह पूर्व रात्रि 8–9 बजे की है। घटना के समय आरोपी से उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने थाना मलाजखंड में प्र. पी.01 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने घटना के संबंध में उसका बयान लेखबद्ध किया था। आरोपी ने उसे गाली नहीं दी थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि क्या आरोपी ने उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गाली दी थी। इससे भी इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्र.पी.02 के कथन में आरोपी द्वारा मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ दिये जाने के बारे में बताया है। यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसका काका है और उसने स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव एवं लालच के आरोपी से राजीनामा कर लिया है। प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि आरोपी ने उसे गाली नहीं दी थी।
- 07. इस प्रकार फरियादी सुंदरीबाई ने आरोपी द्वारा मॉ—बहन की अश्लील गाली देने के बारे में नहीं बताया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। आरोपी और फरियादी सुंदरी के मध्य राजीनामा हो गया है। फरियादी सुंदरीबाई द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लिये जाने एवं अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किये जाने से अभियोजन

ने अपने शेष अन्य साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया है। फलतः उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत सूरजमल बनाम स्टेट(देहली एडिमनीस्ट्रेशन) ए.आई.आर. 1979 सु.को. 1408 एवं हीरालाल बनाम स्टेट आफ एम.पी. 2010(2) म.प्र. वी.नो.79 म.प्र. अवलोकनीय है।

- 08. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 17.05.2018 को समय 20:00 बजे आरक्षी केन्द्र मलाजखंड अंतर्गत ग्राम लोरा सागौनटोला में फरियादिया के घर आंगन में फरियादिया श्रीमती सुंदरीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। फलतः आरोपी को धारा—294 भा.दं.वि. के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।
- 09. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 10. आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा—428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपी की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।
- 11. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

''मेरे निर्देश पर टंकित किया'

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) सही / –
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

ETHENS PAPOTO